न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
74 / 2021 / प्रा.पत्र / 2021	16.08.2021	13.04.2022

मदनलाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक .... प्रार्थी

बनाम

1–श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र स्व. श्री प्यार चन्द जैन प्रोपरायटर मैसर्स मनोज इण्डस्ट्रीज जीआई–111, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया टोंक राज. निवासी वार्ड नं. 20, आदर्श नगर टोंक ...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011

उपस्थिति–
1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थी उपस्थित

दिनांक 13.04.2022

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 05.06.2021 को समय 11:02 ए.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स मनोज इण्डस्ट्रीज जीआई–111, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया टोंक पर पहुंचा। वहॉ श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र स्व. श्री प्यार चन्द जैन मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया पूछने पर स्वयं को मैसर्स मनोज इण्डस्ट्रीज जीआई–111, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया टोंक राज. का मालिक होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु प्रतिष्ठान के गोदाम में खाद्य पदार्थ के साथ सरसों तेल लव कुश टिन पैक ब्राण्ड (Mustard Oil Love Kush Tin Pack Brand) 15 किलोग्राम के 21 टिन पैक रखे हुये थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 के तहत रखने निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो विक्रेता श्री मुकेश कुमार जैन को फार्म नं. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर प्रतिदर्श विक्रेता श्री मुकेश कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते मानक स्तर की जॉच विश्लेषण हेतु क्रय किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.16 16:46:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक ने खरीदशुदा सरसों तेल लव कुश टिन पैक ब्राण्ड (Mustard Oil Love Kush Tin Pack Brand) 1600 ग्राम को नियमानुसार चार साफ व सूखी प्लास्टिक की शिशियों में बराबर–बराबर प्रत्येक शिशि में 400–400 ग्राम सरसों तेल भरकर प्लास्टिक की शिशियों को अच्छी तरह एयर टाईट बन्द कर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम व डी.ओ.कोड एवं कमांक I–2871 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये। चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2871 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता मुकेश कुमार जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को दिनांक 07.06.2021 जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए.2021 / 2219 दिनांक 30.06.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0 / 666 / एक्ट / 2021 / 700 दिनांक 14.06.2021 के अनुसार विक्रेता श्री मुकेश कुमार जैन से वास्ते मानक स्तर की जांच करने कय किया गया सरसों तेल लव कुश टिन पैक ब्राण्ड (Mustard Oil Love Kush Tin Pack Brand) एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(i)(zf)(C)(i) उल्लंघन करने पर **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का सरसों तेल लव कुश टिन पैक ब्राण्ड (Mustard Oil Love Kush Tin Pack Brand) विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस सरसों तेल लव कुश टिन पैक ब्राण्ड (Mustard Oil Love Kush Tin Pack

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.16 16:46:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Brand))का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया सरसों तेल लव कुश टिन पैक ब्राण्ड (Mustard Oil Love Kush Tin Pack Brand) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र स्व. श्री प्यार चन्द जैन प्रोपरायटर मैसर्स मनोज इण्डस्ट्रीज जीआई–111, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया टोंक राज. निवासी वार्ड नं. 20, आदर्श नगर टोंक पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्राह हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 13.04.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.04..2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय टोंक

13-4-2022

(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.16 16:46:05 IST
Reason: SelfAttested